

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 49/2017

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्रीमती सोहनी पत्नी नेताराम जाति मेघवाल निवासी मेवडा तहसील डेगाना हाल निवासी किला तहसील रियाबडी।		राजस्थान राज्य जरिये उप तहसीलदार भैरुन्दा।

उपस्थिति :-

1. श्री धर्माराम खुडखुडिया अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:22.01.2021

[1]-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, भैरुन्दा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 61/2016 सरकार बनाम सोहनी में निर्णय दिनांक 16.12.2016 के तहत मौजा किला के खसरा नं. 196 बारानी-2 भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.03.2017 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 06.04.2017 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार भैरुन्दा के प्रकरण सं. 61/16 के फर्द अहकाम दिनांक 26.10.16 से 16.12.16 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 16.12.16 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, फर्द कुर्की व फर्द नीलामी की फोटोप्रति, उप तहसीलदार भैरुन्दा के पत्र क्रमांक 307 दिनांक 24.11.16 व 366-67 दिनांक 16.12.16 की फोटोप्रति, तहसीलदार रियाबडी के पत्र क्रमांक 8593 दिनांक 28.9.16 की फोटोप्रति, नजरी नक्शा ग्राम किला की फोटोप्रति तथा मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

[2]-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अपीलांत को न तो उक्त प्रकरण का नोटिस उप तहसीलदार भैरुन्दा द्वारा व्यक्तिगत ही दिया न ही तामील कुनिन्दा ने अपीलांत व अपीलांत के शामिल रहने वाले किसी व्यक्ति से तामील करवायी। अपीलांत को निर्णय जैर अपील की तारीख से निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख दिनांक 14.03.17 तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी व सर्वप्रथम जानकारी प्रमाणित प्रति प्राप्त कर पढाने से दिनांक 15.3.17 को हुई। जिससे नागौर आकर कानूनी राय लेकर अपील तैयार करवा कर बिना किसी देरी के अपील पेश की। जिसे अंदर मयाद सुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

[2](1)-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध आदेश जैर अपील बिना विधिवत नोटिस की तामील करवाये, बिना व्यक्तिगत तामील करवाये, बिना सूचना दिये व बिना साक्ष्य सबूत लिये, बिना मौका देखे एवं बिना तहसील कार्यालय मे उपलब्ध खसरा पत्रक व गिरदावरियों का अवलोकन किये, विवादित अतिक्रमण से संबंधित रकबा अपीलांत के हक मे राजकीय परिपत्रो द्वारा नियमन योग्य होते हुए भी त्रुटिपूर्वक आदेश बेदखली के पारित किये गये है। जिसके विरुद्ध अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है व आदेश जैर अपील निरस्त किया जाकर पत्रावली को इस आदेश के साथ प्रति प्रेषित किया जाने योग्य है कि अपीलांत

के कब्जे का मौका निरीक्षण कर राजकीय परिपत्रों के अनुसार अपीलान्त नियमन करवाने का अधिकारी हो तो नियमन किया जावे, के निर्देश दिये जाने योग्य है।

{2}(II)—अपीलान्त भूमिहीन, अनुसूचित जाति का सद्भाविक काश्तकार है। बारानी काबिल काश्त नियमन योग्य भूमि है तथा विवादित रकबा धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित व उपयोग का नहीं है। न ही विवादित रकबा रास्ता, नाडी, अंगौर, औरण, जोहड ही है। न ही गै.मु. भाकर है। ऐसी स्थिति में रकबा मुतनाजा बारानी काबिल काश्त होने से नियमन योग्य है। अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर राजकीय परिपत्रों के तहत खसरा नं. 195 रकबा 4 बीघा व खसरा नं. 196 का रकबा 3 बीघा नियमन किये जाने के आदेश, आज्ञा, निर्देश दिये जाने योग्य है।

{2}(III)—अपीलान्त उक्त भूमि पर संवत् 2000 से पहले से काबिज काश्तकार है तथा पटवारी ने मौके पर आकर कभी गिरदावरिया नहीं की व कुछ वर्षों में अपीलान्त हक में खसरा पत्रक में इन्द्राज भी किये हैं तथा अपील की परिस्थितियों को देखते हुए अपील स्वीकार योग्य है।


{2}(IV)—पटवारी ने आदेश जैर अपील पारित होने की जानकारी दिये बिना व बिना पूर्ण जानकारी के राजकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कथन करते हुए छल कपट से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा कर अपने पास प्राप्त कर लिये, अपीलान्त को संदेह है कि पटवारी ने मौके पर अपीलान्त को भौतिक बेदखल किये बिना ही किसी पडोसी को व अन्य व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये व अपीलान्त को स्वेच्छया हानि पहुंचाने के लिये अपराधिक नियत से मिथ्या बेदखली रिपोर्ट बनाते हुए अन्य किसी राजस्व कर्मचारी को अंधेरे में रख कर मिथ्या बेदखली की रिपोर्ट बनायी है। अपीलान्त को यह संदेह है कि पटवारी अपने चहेते व्यक्ति को विवादित भूमि का लीज व आवंटन बहुत बड़ी राशि प्राप्त कर आवंटन व लीज करवाना चाहते हैं। इसलिये अपीलान्त को भौतिक बेदखल किये बिना ही बेदखल करना दर्शाना चाहते हैं व यदि पत्रावली में ऐसी कोई रिपोर्ट पटवारी ने शामिल की है अथवा कार्यालय में बनायी है तो वह बेदखली रिपोर्ट मिथ्या है तथा ऐसी मिथ्या बेदखली रिपोर्ट को नजर अंदाज किया जाकर मौके पर अपील के निर्णय से पूर्व मौका कमीशनर भेज कर अपीलान्त के कब्जे बाबत तथ्य की रिपोर्ट मंगवायी जाकर निर्णय किया जाना चाहिये।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलान्त द्वारा मौजा किला में स्थित बारानी-2 भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्त आदेश में अपीलान्त को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके किला के खसरा नंबर 196 बारानी-2 भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है। नियमन से संबंधित कार्यवाही प्रशासनिक कार्यवाही है। जिसके लिये पृथक से कार्यवाही हेतु अपीलान्त स्वतंत्र है। मौजूदा राजस्व रेकर्ड के अनुसार आराजी भूमि राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्त का अनाधिकार कब्जा होना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्त की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर क्लर्क, नागौर
नागौर